घरेलू कलह – पारिवारिक अशान्ति

प्रेषित कर्त्ताः– डॉ० शैलजा चतुर्वेदी – सिडनी।

बिल्लो से मेरा परिचय हुआ था जब वह मानसिक संघर्ष से जूझ रही थी। तीन मानसिक रोग विशेषज्ञों ने प्रमाणित कर दिया था कि वह मानसिक रूपसे असंतुलित है व उसमे उसके साल भर के बेटी को पालने की क्षमता नहीं है अत: इसका अधिकार उसके परित्यक्त पति को मिलना चाहिए। तभी किसी दूरदर्शी अधिकारी ने सुझाव दिया कि बिल्लो का अंतिम परीक्षण किसी भारतीय मानसिक रोग विशेषज्ञ्य से करवायें।

बिल्लो पंजाब के एक संभ्रात परिवार की सुशिक्षित बेटी थी जिसका विवाह इंगलेण्ड में बसे एक सम्पन्न परिवार मे हुआ था। पहली बेटी के जन्म के बाद उसके पति व ससुराल के सदस्यों ने एक भारी रकम की मांग की थी, जो उस परिवार की परम्परा बताई गई। बिल्लो व उसके माता-पिता को यह मांग अपमान जनक लगी और सहमत नही हुए। परिणाम स्वरूप बिल्लो की बढ़ती घरेलू कलह ने उसका अपने पति के घर से निष्कासन करवा दिया और वह भारत लौट आई अपनी बेटी के साथ।

कुछ वर्षो के बाद बिल्लो का परिवार आस्ट्रेलिया में बसे एक परिवार के विज्ञापन से प्रभावित हुआ। घर वर तो मन माफ़िक था ही, वर को परित्यक्ता माँ से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं थी। सोने में सुहागा। बिल्लो के माता-पिता यूँ तो एक सप्ताह में विवाह करने के प्रस्ताव पर झिझके किन्तु वर की माँ के आश्वासन व जिद पर हथियार डाल दिये। बिल्लो की बेटी ननसाल में सुखी थी और वहीं रह गई।

बिल्लो को पति के आचरण पर सिडनी पहुँचते हीं संदेह होने लगा। समय के साथ-साथ बिल्लो की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना बढ़ती रही। मार पीट गाली गलौज बिल्लो की तनाव भरी दिनचर्या हो गई थी जो धीरे-धीरे उसके चरित्र व जीवन को परिवर्तित कर रही थी और जिसका अनुवाद पश्चिमी चिकित्सों ने मानसिक रोग से किया।

समय पर उपयुक्त सहायता मिलने से बिल्लो को अपना बेटा तो मिल ही गया नया स्वालम्बी जीवन आरम्भ करने के साधन व माध्यम भी मिले और आज वह सुखी सम्पन्न व स्वस्थ्य, अपने बेटी व बेटे के साथ रह रही है।

बिल्लो की कहानी न तो नई है और न ही इकलौती है । न जाने कितनी बिल्लो घरेलू कलह से प्रताड़ित अपना जीवन होम कर देती हैं। घरेलू कलह बिना सीमाओं के, समाज के हर वर्ग में व विश्व के सभी देशों में व्यापक रूप से फैली है और एक विषम समस्या है जो भावनात्यमक रूप में ही नहीं अपितु जीवन के हर रंग को बेरंग कर देती है।

प्रेम और भावना मनुष्य के सभी सम्बन्धों की कुंजी है व सुख संतुष्टि का सार है यही कारण है जीवन में इसकी प्राथमिक्ता व बहुमूल्यता का, जिसे सहेजने में हम अत्यन्त सम्वेदनशील हो जाते हैं और सुरक्षा में अपने परमप्रिय स्वजनों पर हावी हो जाते हैं बिना सोचे समझे। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है परिवार के अबोध बच्चों पर।

भारतीय आंकड़ो के अनुसार भारत में हर तीन मिनट में एक महिला घरेलू कलह से प्रताड़ित की जाती है, हर ६ घंटें में एक नवविवाहिता जलाई जाती है, उसकी हत्या की जाती है या उसे आत्महत्या की ओर फेंका जाता है। (National Crime Records Bureau) *हर आधे घंटे मे एक बलात्कार होता है व 70% महिलायें किसी न किसी रूप में घरेलू कलह व मार पीट की शिकार होती है। 56% महिलाओं का कहना है कि पति की मार-पीट की कुछ परिस्थितियों में पति को अधिकार है। गर्भवस्था के समय तो इसका और भी अधिक प्रभाव पड़ता है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। घरेलू कलह से पीड़ित महिलाये अधिक बच्चों को जन्म देती हैं, HIV से अधिक रोगग्रस्त होती है व 12 % अधिक आत्म हत्या करती है।*

भारत सरकार कुछ समय से इस विषम समस्या पर विचार कर रही है। देश मे तो अनेको रूप में इसका विरोध संविधानिक तौर पर वर्षो से हो रहा है किन्तु अब यह अन्तर्राष्ट्रीय विषय बन गया है जहाँ प्रवासी भारतीय, भारत आकर विवाह करते हैं फिर या तो पत्नी को वहीं छोड़ आते हैं या विदेश ले जाकर उसका शोषण करते हैं। वैसे तो हर देश में घरेलू कलह की कानूनी कार्यवाही होती है किन्तु भारत सरकार ने अपने दूतावास के माध्यम से एक और सराहनीय कदम उठाया है। यूँ तो अधिकतर महिलायें हैं भुक्तभोगी, कुछ युवक व पुरुष भी हैं इसी वर्ग में। पारीवारिक दबाव से आस्ट्रेलिया में बसी महिलायें भारतीय युवकों से विवाह कर लेती हैं और पति को यहाँ आने पर वास्तविकता का आभास होता है जो घरेलू कलह व मार पीट का कारण बन जाता है।

सिडनी के काउंसिल जनरल श्री अमितदास गुप्ता ने एक नई समिति का संगठन किया है घरेलू कलह सम्बन्धित विषयों को सुलझाने का जिसमे कई विशेषज्ञों का सम्मिश्रण है। यदि आप या आपकी दृष्टि में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जहाँ घरेलू कलह एक समस्या है तो आप भारतीय कोंसलधीश से ईमेल, पत्र या फोन द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं। आपके निकट पुलिस व मानसिक स्वास्थ्य की क्लिनिक या अस्पताल से भी सम्पर्क किया जा सकता है। यह योजना अभी आरम्भ हो रही है अत: आपको समय-समय पर और सुविधाजनक सूचनायें समाचारपत्रों, आकाशवाणी व कोंसलाधीश के द्वारा मिलती रहेंगी।

पारिवारिक सुख शान्ति व स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है व यह हमारे समाज की व हमारे भविष्य की सशक्त नींव है। इसकी रक्षा हमें तन मन धन से करनी होगी।